International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 02(III), April - June, 2023, pp. 214-220

# नेपाल में लोकतंत्र का विकास और चुनौतियाँ

धर्मेन्द्र कुमार मीणा*

**प्रस्तावना**

हिमालय पर्वत की मनोहर वादियों के बीच दक्षिणी ढलान पर बहुत खूबसूरत देश बसा है, जिसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। यह एशिया के दो विशाल देशों भारत और चीन के बीच मे अवस्थित है, जहाँ ये अपने उत्तरी दिशा में चीन के साथ सीमा साझा करता है और शेष तीन तरफ से भारत के साथ। नेपाल अपनी भौगोलिक अवस्थिति के वजह से भारत और चीन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि भारत के उत्तरी सीमा की रक्षा पर्वतराज हिमालय करता है और इसी हिमालय में बसे होने के कारण नेपाल भी उत्तरी सीमा सुरक्षा के लिए स्त्रातेजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण कर लेने के बाद अब प्रत्यक्ष रूप से नेपाल, भारत और चीन के बीच में अवरोधक राष्ट्र की भूमिका में आ गया है।

भारत और नेपाल लगभग 1750 किमी0 लम्बी खुली सीमा साझा करते हैं यानि इन देशों की सीमायें एक–दूसरे देश के नागरिकों के लिए हमेशा खुली रहती हैं और दोनों देशों के नागरिकों को एक–दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश और परिभ्रमण के लिए किसी भी प्रकार के पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। नेपाल की दक्षिणी सीमा भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ, पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ तथा पश्चिमी सीमा उत्तराखण्ड राज्य से मिलती है। दोनों देशों के सीमान्त नागरिकों में सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यतायें एवं आहार–व्यवहार एकसमान पाए जाते हैं, यही वजह है कि सीमान्त नागरिकों में आपस में बेटी–रोटी का सम्बन्ध प्रचलित है अर्थात् नेपाल के सीमान्त नागरिक कार्य एवं नौकरी की तलाश में भारत के सीमान्त क्षेत्रों में प्रवास को प्राथमिकता देते हैं तथा आपस में सीमापार से वैवाहिक सम्बन्ध भी बनाते हैं। नेपाल के जो क्षेत्र भारत के साथ सीमा बनाते हैं उनमें अधिकांश मैदानी भाग हैं, जिसे नेपाल में तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और नेपाल के तराई निवासी लड़के–लड़कियों के विवाह भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के लड़के–लड़कियों के साथ अधिक प्रचलन में है हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी आपस में शादियों का प्रचलन आम है।

नेपाल एकमात्र ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जिसके साथ भारत की साझी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और विस्तृत सामाजिक विरासत है तथा उसके नागरिक (गोरखा) भारतीय सेना में भर्ती होते हैं और भारतीय सेना में उनके नाम से एक अलग रेजीमेंट भी है–गोरखा रेजीमेंट जो पूरी दुनिया में ऐसा एकमात्र उदाहरण है। ऐसा विश्व के किसी पड़ोसी देश में नहीं होता है कि एक देश के नागरिक पड़ोसी देश की सेना में भर्ती होते हैं।

भारत और नेपाल घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्धों की डोर से बंधे ऐसे पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनके बीच सदियों से खुली सीमाएँ और सीमापार मुक्त आवागमन है। सांस्कृतिक सम्बन्धों की दृष्टि से ये दोनों पड़ोसी ऐसे अटूट बंधन में बंधे हैं जिसे हिन्दुत्व आपस में जोड़ता है। दोनों देशों के बीच सदियों से रोटी–बेटी के सम्बन्ध तो हैं ही, भारत के साथ नेपाल का प्राचीन रिश्ता उसे तटीय भारत से भी जोड़ता है और लगभग साढ़े तीन शताब्दियों से केरल के नम्बूदरी ब्राह्मण पशुपति नाथ मंदिर में महन्त के रूप में सेवा देते आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सवाई माधोपुर, राजस्थान।

पशुपति नाथ मंदिर में नम्बूदरी ब्राह्मणों की नियुक्ति आदि शंकराचार्य और त्रावणकोर के शासकों ने की थी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से नेपाल के गोरखा समाज का जुड़ाव सर्वविदित है। गोरखाली लड़ाकों की टुकड़ियों में जवानों का 'तिलंगा' नाम भी सुदूर भारत के तेलंगाना से आया हुआ है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र और काठमांडू घाटी के तांत्रिक समाज बंगाल के माध्यम से जुड़े थे। नेपाल के राजाओं, यहाँ तक कि अंतिम महाराज ज्ञानेन्द्र तक ने असम के कामाख्या मंदिर में पशु–बलि दी थी। इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब पल्या के जरिये ढाका में बनी टोपियाँ नेपालियों के सिर पर सजती थीं।

भारत में अंग्रेजी हुकूमत के विरूद्ध 1857 के विद्रोह के समय मराठा नायक नाना साहब से लेकर लखनऊ की बेगम हजरत महल तक को नेपाल में शरण मिली। बेगम हजरत महल की समाधि काठमांडू में दरबार मार्ग पर स्थित घंटाघर के पास है।

प्राचीनकाल से भारत और नेपाल के सम्बन्धों का इतिहास इतना अधिक क्रमबद्ध, सुनिश्चित और घनिष्ठ रहा है कि इन दोनों देशों के जन–जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आचरण में समरूपता परिलक्षित होती है।

नेपाल जो तीन दिशाओं में भारत तथा अपने उत्तर दिशा में तिब्बत (अब चीन) का पड़ोसी है, जब से तिब्बत चीन के प्रत्यक्ष शासन में आया है तब से उसकी स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है। भौगोलिक रूप से निकटतम पड़ोसी होने के कारण नेपाल में भारत की रूचि स्वाभाविक है। भारत और नेपाल प्रारम्भ से ही शांतिप्रिय देश रहे हैं। नेपाल, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है जो भारत के लिए बहुत पवित्र भूमि है। भारत तथा नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से एक–दूसरे के सन्निकट रहे हैं। इन दोनों देशों की आपस में लगभग 1750 किलोमीटर लम्बी सीमा है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों देशों में खुली सीमा साझा होती है अर्थात् सीमा पर कोई बाड़ या घेरा नहीं है, उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि इन दोनों देशों के नागरिकों को एक–दूसरे देश में आवागमन के लिए किसी भी प्रकार के पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेपाल व भारत के बीच का अधिकांश क्षेत्र मैदानी भूमि है जो दोनों देशों के सीमान्त नागरिकों को आपसी व्यापार में सुविधा प्रदान करता है। नेपाल तथा भारत के सीमान्त निवासियों में सामाजिक और सांस्कृतिक समानता भी पाई जाती है। नतीजतन उनका आपस में वैवाहिक सम्बन्ध भी होता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार नेपाल को एक सूत्र में संगठित करने वाले राजा पृथ्वी नारायण शाह के पिता भारतीय मूल के निवासी थे और वर्तमान समय में तो नेपाल के तराई क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की बहुलता है।

जब किन्हीं दो पड़ोसी राष्ट्रों में इतनी अधिक साम्यता और निकटता हो तो उसकी सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रिया में रूचि लेना बेहद स्वाभाविक है। जैसी पड़ोसी देश की राजनीतिक व्यवस्था होगी उसी प्रकार का उसका समाज होगा तथा उसके निवासी भी उसी दायरे में व्यवहार करेंगे। यही कारण है कि नेपाल में जैसे–जैसे राजनीतिक प्रक्रिया बदलती है और जिस प्रकार संविधान बदलता जाता है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत–नेपाल के सम्बन्धों पर पड़ता है और इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि नेपाल में लोकतांत्रिक विकास का अध्ययन किया जाए और उसे नजदीक से समझा जाए।

वर्ष 1769 ई0 में नेपाल के गठन से लेकर सन् 1846 तक नेपाल में नरेश (राजा) का शासन प्रभावी रहा, वे ही प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। 1846 ई0 में नेपाल में राणा शासन प्रभावी हुआ जिसमें सर्वप्रथम थे– जंग बहादुर राणा। जंग बहादुर राणा ने 1851 में इंग्लैण्ड और फ्रांस की यात्रा की और उन्हें प्रगतिशील पश्चिमी राष्ट्रों तथा अपने नेपाल के राजनीतिक विकास में अंतर समझ आया। यात्रा से वापस आने के बाद उन्होंने कुछ विद्वतजनों को बुलाकर नेपाल के लिए एक संविधान के निर्माण का कार्य उन्हें सौंपा और संविधान बनने के बाद उसे 'मुल्कि आईन' नाम दिया गया। यह आईन नेपाल का प्रथम संविधान है। यह 1854 ई0 में बनकर तैयार हुआ। इस आईन का निर्माण प्राचीन हिन्दु धर्मशास्त्रों के आधार पर किया गया था अतः इसमें कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी थीं जैसे–एकसमान अपराध के लिए कुलीन वर्ग के व्यक्ति को न्यूनतम तथा ग़रीब और निचले श्रेणी का माना जाने वाला समुदाय (दलित एवं सूद्र) के लिए अधिकतम दण्ड का प्रावधान था।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में राजाओं के शासन का विरोध होने लगा और जनता में भी अपने अधिकारों के प्रति चेतना आने लगी। उस समय भारत में भी बहुत हलचल थी, ब्रिटिश आंदोलन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। इसका भी प्रभाव सन्निकट पड़ोसी नेपाल पर पड़ना स्वाभाविक था। कुल मिलाकर नेपाल की जनता में राजनीतिक जागृति बढ़ी जिसने वहाँ लोकतंत्र के विकास तथा संविधान लाने के लिए सुदृढ़ प्रयास किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का भी प्रभाव नेपाल की आंतरिक राजनीति पर पड़ा। इसके प्रभाव से नेपाल में धीरे–धीरे सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति का संचार हुआ। भारत में शिक्षित नेपाली वर्ग की राजनीतिक चेतना विभिन्न प्रकार के संघों द्वारा सामने आ रही थी जो धीरे–धीरे राणा शासन के विरूद्ध स्वर का आह्वान करने लगे। प्रो0 कृष्णा खनाल के अनुसार, इस समय भारत में चल रहे राजनीतिक–सामाजिक सुधारों का पूरा प्रभाव नेपाल पर पड़ा और राणा शासन के विरूद्ध नेपाल घाटी में राजनीतिक दल बनने लगे जैसे–प्रजा परिषद् और प्रचंड गोरखा। कुछ समय बाद नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना भारत के शह पर हुई। सन् 1936 में एक और राजनीतिक दल 'नेपाल प्रजा परिषद्' का गठन टंका प्रसाद आचार्य, दशरथ चंद्र एवं राम हरि शर्मा ने मिलकर किया। इस परिषद् का उद्देश्य था नेपाल में राजतंत्र की छत्रछाया में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। कुल मिलाकर 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही नेपाल में राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों की मांग उठने लगी थी। राणा विरोधी आंदोलन भी तेजी से उठने लगा था। 1846 ई0 से 1956 ई0 तक नेपाल में राणा शासन के तहत राजतंत्र कायम रहा। सन् 1940 के दशक में नेपाल में बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 04 मार्च 1947 को नेपाल में श्रम आंदोलन शुरू हुआ जिसमें हड़ताल ने बहुत जल्दी भयंकर रूप ले लिया।

इसमें मजदूर और स्त्रियाँ सभी शामिल होने लगे, कई मजदूरों की जानें भी गईं। इस हड़ताल के प्रमुख नेताओं को कैद किया जाने लगा और इसके विरोध में प्रदर्शन और भी विशाल रूप इख्तियार करने लगे। जनता के बीच व्याप्त असंतोष को भांपकर तत्कालीन राणा प्रधानमंत्री पद्म शमशेर ने तत्काल एक नया संविधान बनाने की घोषणा की और उसमें जनता को सरकार में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यहाँ से नेपाल के लोकतांत्रिक विकास का प्रथम सोपान प्रारम्भ हुआ। हालांकि इस घोषणा से संकीर्ण मानसिकता वाले राणाओं का एक वर्ग कुपित हुआ परन्तु परिस्थिति के अनुसार यह आवश्यक था।

संविधान का निर्माण 1948 में किया गया जिसे नेपाल सरकार अधिनियम, 1948 के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें नरेश को राजनीतिक शक्तियों से बाहर रखते हुए राणा प्रधानमंत्री ने सारी राजनीतिक शक्तियाँ अपने पास रख ली। इस संविधान में त्रिस्तरीय चुनावी व्यवस्था का प्रावधान किया गया जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम सभा चुनाव, जिला स्तर पर जिला तथा राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव। ग्राम स्तर के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था तथा अगले दोनों उच्च स्तरों के लिए प्रथम स्तर के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन का प्रावधान था। द्विसदनीय संसद की भी व्यवस्था की गई थी जिसमें उच्च सदन (भारदारी सभा) था जिसके सदस्यों को राजा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता था। अंतिम शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित थीं तथा मंत्रिपरिषद् प्रधानमंत्री के प्रति ही जवाबदेह थी न कि संसद के प्रति।

यह प्रथम लिखित संविधान था जिसे लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आधारों पर स्थापित करने का प्रयास हुआ था। हालांकि यह राणाओं के दो गुटों के मध्य एक समझौता था आंतरिक और वाह्य परिस्थितियों को देखते हुए उदारवादी रवैया अपनाने का।

नेपाल सरकार अधिनियम, 1948 के निर्माण के कुछ समय बाद ही राणा प्रधानमंत्री पद्म शमशेर ने अपने खराब स्वास्थ्य के वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनके बाद मोहन शमशेर ने प्रधानमंत्री का पद संभालने के साथ ही संविधान तथा उसके सभी प्रावधानों को नकार दिया तथा पहले की तरह शासन का संचालन करना प्रारम्भ कर दिया। संविधान रद्द होने के कारण नेपाल में एक व्यापक जनआंदोलन प्रारम्भ हो गया।

08 दिसम्बर, 1950 को भारत सरकार ने नेपाल सरकार को एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें संवैधानिक सुधारों के लिए सुझाव पेश किए गए थे। कई विवादों और 'मुक्ति सेना' के गुरिल्ला युद्ध से हारकर 08 जनवरी, 1951 को प्रधानमंत्री मोहन शमशेर ने सुझाव के सभी बिन्दुओं को स्वीकार किया और मुक्ति सेना से हथियार त्यागने की अपील भी किया। 16 जनवरी को नरेश, राणा शासक एवं नेपाली कांग्रेस के बीच एक बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि नेपाल के लिए एक अंतरिम संविधान, 1951 का निर्माण किया जाएगा। चूंकि इस सम्पूर्ण घटनाक्रम पर भारत सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग था, इसलिए इसे 'दिल्ली समझौता' के नाम से जाना जाता है।

सन् 1951 नेपाल के लोकतांत्रिक विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस वर्ष नेपाल नरेश त्रिभुवन और दिल्ली सरकार की मध्यस्थता से एक अंतरिम संविधान का गठन किया गया जिसके माध्यम से राणाओं की शक्तियाँ न्यून करके जनता को अवसर दिया गया। इस अंतरिम संविधान के निर्माण के बाद नेपाल नरेश के नेतृत्व में पश्चिम के देशों की अवधारणा पर आधारित संवैधानिक मॉडल अपनाने का मौका मिला, परन्तु सन् 1955 के बाद नेपाल के हालात फिर से बिगड़ने लगे और 1959 में पुनः नए संविधान का निर्माण करना पड़ा। यह भी अंतरिम संविधान था। यह एक प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था जिसकी अध्यक्षता बागबती प्रसाद सिंह के द्वारा की गई थी तथा इसके प्रारूप को तैयार करने के लिए ब्रिटेन के विधिक मामलों के विशेषज्ञ सर आइवर जेनिंग्स को आमंत्रित किया गया था। यह अंतरिम संविधान छोटा परन्तु सरल और स्पष्ट था। हालांकि उस वक्त कोई व्यक्ति इतना योग्य नहीं मिला जिसे दायित्व और शक्तियाँ दी जायें, इसीलिए समस्त शक्तियाँ नरेश को ही दी गईं परन्तु इस संविधान ने संप्रभुता की शक्ति को जनता में निहित किया और मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व दिया।

चूँकि 1959 ई0 का संविधान एक अंतरिम संविधान था, इसलिए इसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। इस संविधान का निर्माण नेपाल की प्रगति एवं जनकल्याण की भावना से प्रेरित होकर किया गया जो 1962 में बनकर तैयार हुआ। इस संविधान में नेपाल के लिए शासन व्यवस्था के तौर पर 'पंचायती व्यवस्था' को अपनाया गया जो दलविहीन था। नरेश महेन्द्र ने राजनीतिक दलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया संविधान के प्रावधान के तहत। इस दलविहीन पंचायती व्यवस्था में चार स्तरीय लोकतांत्रिक स्वरूप का प्रावधान था जैसे–ग्राम पंचायत/नगर पंचायत, जिला पंचायत, मंडल/अंचल सभा और अंतिम राष्ट्रीय पंचायत/संसद। यह संविधान 1962 से 1990 तक नेपाल में कायम रही परन्तु सत्ता के केन्द्रीकरण के वजह से सरकारें जनता के हितों को दरकिनार करके सिर्फ नरेश के प्रति आस्थावान रहीं परिणामस्वरूप व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ा, मानवाधिकारों का हनन तथा अनुत्तरदायी शासन और बढ़ते आर्थिक संकट के कारण यह संविधान असफल सिद्ध हुआ और सन् 1990 में पुनः एक नए संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान के द्वारा दलविहीन पंचायती व्यवस्था को रद्द करके बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। इसने राजतंत्र की शक्तियों को कम कर दिया तथा जनता को अधिक महत्त्व प्रदान किया।

1990 ई0 के संविधान से नेपाल के लोकतांत्रिक विकास का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ और इसके साथ ही संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इस संविधान ने भी संप्रभुता शक्ति को जनता में निहित किया परन्तु यह संविधान लागू होने के कुछ समय बाद ही नेपाल में माओवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगे तथा राजनीति में उथल–पुथल चल रही थी तब तक 2001 में 01 जून को नेपाल नरेश वीरेन्द्र की उनके परिवार सहित उन्हीं के राजमहल में हत्या कर दी गई। उनके बाद उनके भाई ज्ञानेन्द्र को राजा बनाया गया परन्तु वे परिस्थितियों और आंदोलनों से निपटने में असमर्थ रहे तथा राजनीतिक दलों ने एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी रखा नतीजतन नेपाल में आंतरिक कलह और राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान रही। वर्ष 2005 में नेपाल की आंतरिक राजनीति में बदलाव आया जब राजतंत्र तथा संसद के बीच का संघर्ष खुलकर सामने आ गया। फरवरी 2005 में तत्कालीन देउबा सरकार को बर्खास्त करके राजा ज्ञानेन्द्र ने अपनी अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डल का निर्माण किया तथा मौलिक अधिकारों को निलम्बित कर दिया, दूरभाष और संचार तंत्र को नष्ट करवा दिए तथा

मीडिया को भी बैन कर दिया। अंततः नरेश ज्ञानेन्द्र ने नेपाल में आपातकाल की घोषणा कर दी तथा स्थानीय चुनावों को एक साल में और संसदीय चुनावों को तीन साल में कराने का वादा किया। अक्टूबर 2005 में स्थानीय चुनाव कराया गया जिसमें मात्र 21ः मत पड़े। इससे सिद्ध होता है कि जनता ने नरेश के राजनीतिक व्यवस्था को नकार दिया। 24 अप्रैल 2006 को नेपाल नरेश ने भंग संसद को बहाल करने की घोषणा की तथा 30 अप्रैल, 2006 को नई सरकार बनी जिसके नेतृत्वकर्ता थे नेपाली कांग्रेस के गिरिजा प्रसाद कोइराला। उन्होंने नेपाल में नई लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिया जैसे–मीडिया पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, छुआछूत को दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया, नेपाल को हिन्दू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया (बहुत विवादास्पद) था।

हालांकि माओवादियों के असंतोष जाहिर करने के बाद सरकार ने संसद को भंग कर दिया तथा घोषणा की कि नई अंतरिम सभा तथा संसद बनेगी जिसमें माओवादी भी शामिल होंगे तथा यू0एस0 की निगरानी में होने वाली निःशस्त्रीकरण प्रक्रिया में भी भाग लेंगे। इस बात से कुछ माओवादी असहज थे और सात दलीय गठबंधन तथा माओवादियों के बीच तनाव उभरने लगा। नवम्बर में सरकार और माओवादियों के बीच समग्र शांति समझौता हुआ जिसमें युद्ध रोकने और परिवर्तन आदि बिन्दु थे। कुछ समयोपरांत एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई तो माओवादी इसमें शामिल नहीं हुए बल्कि बातों के जरिए सम्बंधित रहे। अंतरिम सरकार की बैठक के बाद एक अंतरिम संविधान अस्तित्व में आया परन्तु उस संविधान के आने के बाद अंतरिम सरकार के समक्ष कई चुनौतियाँ आईं जो तराई क्षेत्र से थीं। चूँकि तराई क्षेत्र में अधिकांश मधेसी रहते हैं, फरवरी 2007 में इस क्षेत्र में काफी हिसंक प्रदर्शन हुए क्योंकि मधेसी समुदाय को शांति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। अंततः अगस्त 2007 में मधेसी समुदाय और सरकार के बीच समझौता हुआ कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मिश्रित व्यवस्था तथा चुनाव फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट के आधार पर होगा।

23 दिसम्बर, 2007 को 23 बिंदु समझौता हुआ जिसने माओवादियों की मांगों को बहुत हद तक पूरा कर दिया। 10 अप्रैल, 2008 को संवैधानिक सभा का चुनाव हुआ जिसमें 601 सीटों में से 220 माओवादियों को, 110 नेपाली कांग्रेस को और 103 सीट यू0एम0एल0 को मिली। राजतंत्र समर्थकों को बहुत कम सीटें प्राप्त हुईं। 12 मई को अंतरिम सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि 28 मई को संविधान सभा की पहली बैठक होगी तथा हमारा पहला काम होगा– नेपाल को गणतंत्र घोषित करना और 28 मई 2008 को नेपाल पूर्णरूप से गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बन गया तथा राजशाही का उन्मूलन हो गया। माओवादी नेता पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने प्रधानमंत्री का पद लिया तथा नेपाली कांग्रेस के नेता रामबरन यादव ने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। मार्च 2009 में सरकार ने आदेश दिया कि सभी जनरल नौकरी छोड़ दें और माओवादी लड़ाकों को प्रशिक्षण दें परन्तु सभी जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय जाकर आदेश को चुनौती दी, नतीजतन, प्रधानमंत्री प्रचंड ने सेनाध्यक्ष जनरल रूकमंगद कटवाल को बर्खास्त कर दिया और वजह दी गई कि वे माओवादी लड़कों की सेना में जुड़ने में बाधा डाल रहे हैं। इस घटना से सभी दल प्रचण्ड के विरूद्ध हो गए और शासकीय दल तथा अन्य दलों ने मिलकर सेना अध्यक्ष के समर्थन में रैलियाँ निकालीं। राष्ट्रपति रामबरन यादव ने घोषणा की कि सेना अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए। प्रचंड को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

इन विरोध–प्रदर्शनों के बीच जो संविधान 28 मई, 2010 तक बन जाना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। राजनीतिक उठा–पटक के कारण पहली संविधान सभा संविधान बनाने में असफल रही और 2012 में इसका कार्यकाल खत्म हो गया। 2013 में संविधान सभा के लिए दूसरी बार चुनाव हुआ और इसमें नेपाली कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा और विभिन्न कठिनाईयों को पार करते हुए अंततः सितम्बर 2015 में संविधान सभा के 90 प्रतिशत सदस्यों द्वारा संविधान पारित हुआ जिसे 20 सितम्बर को लागू किया गया। हालांकि वर्ष 2007 के अंतरिम संविधान के द्वारा ही नेपाल से राजतंत्र खत्म हो गया था लेकिन नवीनतम संविधान के घोषणा से नेपाल में 240 वर्ष पुराने राजतंत्र का कहीं कोई स्थान नहीं रहा और देश में एकात्मक व्यवस्था के स्थान पर संघीय व्यवस्था का आविर्भाव हुआ, परन्तु इस संविधान में नागरिकता तथा संसदीय प्रतिनिधित्व के कुछ प्रावधानों को

लेकर तराई निवासी मधेसी और थारू जनजाति असंतुष्ट हैं और अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनकी समस्या थी कि संविधान में नागरिकता के प्रावधान तराईवासियों के विरूद्ध हैं तथा संसद में प्रतिनिधित्व का प्राथमिक आधार जनसंख्या को न मानकर भूगोल को माना गया है।

मधेसियों ने भारत के साथ लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया। आयात–निर्यात सब बंद हो गया जिससे नेपाल में जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि सीमा ब्लॉकेड के कारण भारत से आयात होने वाली कोई भी वस्तु नेपाल नहीं पहुँच पा रही थी। लगभग 04 महीने तक ये आंदोलन चला परन्तु फरवरी 2016 में नेपाल सरकार संविधान संशोधन का प्रस्ताव लेकर आई जिसमें नागरिकता के बदले हुए प्रावधान को खत्म करना और संसद में प्रतिनिधित्व के लिए भूगोल की जगह जनसंख्या को प्राथमिक आधार मानने का प्रस्ताव था तथा मधेसी लोगों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान था। सीमा बंद होने के कारण मधेसी नागरिकों का जीवन भी बहुत कष्टमय हो गया था। अतः संविधान संशोधन के आश्वासन वाले प्रावधानों पर सहमत होकर मधेसियों ने आंदोलन खत्म कर दिया। अब नेपाल 20 सितम्बर 2020 से पूर्णतः लोकतांत्रिक गणतंत्र है।

भारत के साथ नेपाल के रिश्ते स्वाभाविक पड़ोसियों के जैसे ही रहते हैं। इन दोनों देशों के सम्बन्ध कभी बहुत घनिष्ठ तो कभी उदासीन भी होते हैं। नेपाल का झुकाव भारत के तरफ रहता है तो भारत आश्वस्त रहता है कि नेपाल सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमारा नुकसान नहीं होने देगा परन्तु जब उसका झुकाव चीन की तरफ हो जाता है तो भारत की चिन्ता स्वाभाविक है और ऐसे में दोनों देशों के बीच थोड़ी मनमुटाव की स्थिति आ जाती है।

2016 में देउबा और प्रचण्ड की भारत यात्रा के दौरान नेपाल ने विभिन्न स्तरों पर प्रतिज्ञा की है कि वह विशेष रूप से भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए अपने क्षेत्र का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

वैसे देखा जाए तो नेपाल में लोकतंत्र के विकास में जो गम्भीर चुनौतियाँ पेश आई हैं उनमें सर्वप्रथम रहा है–नेपाल का भू–अवरूद्ध देश होना, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था (सेटअप), माओवादी समस्या, राणा तंत्र, नेपाल का सामाजिक विन्यास जिसमें सभी ऊँची और अमीर जातियाँ पहाड़ी क्षेत्र में और दलित, आदिवासी एवं पिछड़ी जातियाँ तराई (मैदानी) भाग में बसी हुई हैं, भौगोलिक विभाजन आदि। 24 जुलाई, 2017 को इंडियन एक्सप्रेस समाचारपत्र में प्रकाशित लेख (युवराज धिमिर) के अनुसार भारत–नेपाल दोनों ही अपने–अपने स्तर से आपसी सम्बन्ध सुधारने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। भारत नेपाल में लोकतंत्र समर्थक दृष्टिकोण का समर्थन करता है जबकि चीन सिर्फ सम्प्रभुता पर जोर देता है। हालांकि नेपाल के भविष्य की स्थिरता इन दोनों दृष्टिकोणों के सम्मिश्रण तथा अपने दोनों विशाल पड़ोसियों के समर्थन की मांग में निहित है।

24 अगस्त, 2017 के इंडियन एक्सप्रेस समाचारपत्र के सम्पादकीय लेख (जो स्वर्णिम वागले द्वारा लिखित है) के अनुसार नेपाल और भारत दुनिया के सबसे करीबी पड़ोसियों में से हैं और 21वीं सदी में आर्थिक रूप से छलांग लगाने के लिए इन दोनों देशों को अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक नींव पर अब निर्माण करने की चुनौती है और इन्हें अपनी सोंच को 21वीं सदी की संभावनाओं और चुनौतियों के अनुरूप ढालने की जरूरत है। नेपाल आज भारत के साथ भारी व्यापार घाटे का सामना कर रहा है क्योंकि उत्पादन क्षमता कम हो रही है और प्रेषण के बड़े प्रवाह से आयात में वृद्धि हुई है। हालांकि 'मेक इन इण्डिया' और सम्बन्धित अभियान देश को विनिर्माण के लिए अगले वैश्विक केन्द्र में बदलने की खातिर नेपाल के लिए क्षेत्रीय मूल्य शृंखला से जुड़ने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। भारत और नेपाल दोनों में युवा आबादी का वर्चस्व है, जिसका सांख्यिकीय लाभांश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगस्त के ही आखिरी सप्ताह में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के दौरान एक दूरंदेशी विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा करेगा जहाँ प्रत्येक देश उन पहलों पर दूसरे की मदद करता है जो प्रकृति में परिवर्तनकारी हैं।

भारत की अपनी पांच दिवसीय यात्रा की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बयान ने देश के संविधान के बारे में देश की राजनीतिक व्यवस्था की चिंताओं को उजागर किया और कहा कि, ''प्रांतीय और संघीय संसद का चुनाव होने के बाद गणतंत्र को औपचारिक रूप दिया जाएगा।'' दरअसल एक दिन पहले ही नेपाल कैबिनेट ने 26 नवम्बर को एकसाथ दो चुनाव कराने का फैसला किया था, परन्तु लगभग 9 साल पहले संविधान सभा की पहली बैठक में ही राजशाही को समाप्त कर दिया गया था फिर भी गणतंत्रात्मक आदेश इतना असुरक्षित क्यों दिखाई देता है। ख़ैर जो भी हो लेकिन जब शेर बहादुर देउबा दिल्ली आए तो उनके पहुँचने के तुरन्त बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपने आवास पर आमंत्रित कर लिया था। ये दर्शाता है कि भारत और नेपाल केवल राजकीय नियमों के तहत ही काम नहीं करते हैं बल्कि वे आपसी पारम्परिक और साझा सांस्कृतिक विरासत को सर्वोपरि रखते हैं।

2015 में नेपाल में आए भयानक भूकम्प और त्रासदी में फंसे लोगों को बचाने और सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए सबसे पहले भारत ही नेपाल पहुँचा और भारतीय सैनिकों ने इस आपदा में फंसे लोगों को मदद पहुँचाई। वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व कोविड–19 महामारी से प्रभावित हुआ है और इससे बचने का प्रयास कर रहा है परन्तु भारत के सीरम संस्थान द्वारा जैसे ही कोविड–19 के टीके का निर्माण किया गया, भारत सरकार ने नेपाल को भी टीके की खेप भेजी। इन सभी प्रयासों से यह सिद्ध होता है कि नेपाल के साथ सम्बन्ध कायम रखने में भारत सरकार इच्छुक है। भारत और नेपाल के बीच टीकाकरण प्रमाणपत्र की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता ज्ञापन पर 23 नवम्बर, 2021 को भारत के राजदूत, महामहिम श्री विनय मोहन क्वात्रा और डॉ0 रोशन पोखरेल, सचिव, स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय, नेपाल सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

इस प्रकार नेपाल के लोकतंत्रात्मक विकास की लम्बी यात्रा तथा उसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त हमने पाया कि नेपाल अब पूर्णतः लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है तथा अपने सन्निकट या यूं कहें अभिन्न पड़ोसी भारत से उस लोकतंत्रात्मक यात्रा में पुरजोर सहयोग प्राप्त किया है और इन दोनों देशों के आपसी सम्बन्ध शी–शॉ की तरह है जो कभी ऊपर तो कभी नीचे होता है परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी मीठा और कभी कड़वाहट वाले रिश्ते के बावजूद सम्बन्ध हमेशा कायम रहता है और भारत अपनी मूल नीति 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पालन करते हुए जब भी आवश्यक हो, मदद की पंक्ति में पहले स्थान पर मिलता रहेगा।

अन्ततः निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि भारत और नेपाल के सम्बन्धों में भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खुली सीमा के कारण तस्करी, अपराध और आतंकवाद की समस्याओं को अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं, जिनके निराकरण के लिए ठ।क्च अभियान चलाया जा रहा है तथा कुछ बाधाओं एवं मनमुटावों को दरकिनार कर दिया जाए तो दोनों देश सहयोग एवं विकास की राह पर अग्रसर हैं।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. चौहान, राजीव कुमार, 'भारत और नेपाल के सामरिक सम्बन्ध (सन् 1950 से अब तक)' आकृति प्रकाशन, दिल्ली, 2010.
2. मीना, डॉ0 राकेश कुमार, 'नेपाल का संवैधानिक विकास', प्रभात प्रकाशन प्रा0लि0, नई दिल्ली, 2020.
3. शुक्ल, नर्वदेश्वर, ललित, गुलाबचन्द्र, 'भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हिमालयी क्षेत्र का स्त्रातेजिक महत्व', मोहित पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012.
4. शुक्ल, प्रो0 ए0पी0, त्रिपाठी, प्रो0 एस0एन0एम0, 'भारत–नेपाल सम्बंधः चुनौतियाँ और अवसर', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2018

❖◆❖